## कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर-474002.

Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Madhya Pradesh,

Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002.

क्र. प्रशा.12/स.1/फा.39/ख-III/प्रतिनि./का.आ-31

दिनांक:- 05.06.2023

## कार्यालय आदेश/Office Order

इस कार्यालय के श्री भागीरथी, विरष्ठ लेखापरीक्षक (03/10957) का कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में उनके द्वारा स्वीकार की गयी शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 09.06.2023 (अप.) को इस कार्यालय से कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थिति देवें |

Consequent upon selection of Shri Bhagirathi, Sr. Auditor (03/10957) working in this Office, on deputation basis in the O/o the Director General of Audit, North Eastern Railway, Gorakhpur under general terms and conditions of deputation and the terms and conditions issued by Government of India from time to time, he is relieved from this office on 09.06.2023 (A.N.) and he is directed to join O/o the Director General of Audit, North Eastern Railway, Gorakhpur.

उक्त स्थानांतरण लोकहित में नहीं है | अतः उन्हें किसी भी प्रकार के कार्यग्रहण काल, प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं स्थानांतरण भत्ते की पात्रता नहीं होगी |

Aforesaid transfer is not in public interest. Therefore deputation allowance, transfer TA, joining time will not be admissible to him.

उपरोक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उधारग्रहीता विभाग के माध्यम से इस कार्यालय को तुरंत दें |

He shall immediately intimate his joining in the aforesaid office, to this office, through the borrowing office.

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.ए.बी.14017/30/2006 स्था.(आर.आर.) दिनांक 29.11.2006, जिसे मुख्यालय के पत्र क्र. 19 लेखापरीक्षा (नियम) 66-2002 (KW)/IV-2007(10) दिनांक 06.03.2007 द्वारा अग्रेषित किया गया है, में उल्लेखित निम्न अन्य शर्तों के अधीन प्रतिनियुक्ति नियमित होगी:-

The deputation will be regularized in terms of the following other conditions contained in Do.P.T. O.M. No. A.B.14017/30/2006 Estt.(R.R.) dated 29.11.2006 received with Headquarters' letter No. 19 Audit (Rules) 66-2002 (KW)/IV-2007 (10) dated 06.03.2007:-

1- यह प्रतिनियुक्ति 09.06.2024 तक के लिए होगी तथा प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी को दिनांक 09.06.2024 को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करना होगा | कार्यमुक्त करने के लिए अलग से कोई भी आदेश नहीं दिए जार्येगे |

The deputation will be upto 09.06.2024 and the official on deputation will have to be compulsorily relieved on 09.06.2024. No separate order will be issued for his relieving.

2- प्रतिनियुक्ति की अविध में किसी भी प्रकार की वृद्धि नही की जाएगी तथा प्रतिनियुक्ति अविध की समाप्ति पर कार्यभार से मुक्त माना जायेगा, सिवाय उस स्थिति में जब सक्षम अधिकारी ने उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व लिखित में उसकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाये जाने के लिए अपेक्षित अनुमोदन नही दे दिया है | प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी का ओवर स्टे न हो यह उसके अगले उच्च अधिकारी की जिम्मेदारी होगी |

Deputation period will not be extended and he will be treated as relieved unless the Competent Authority approves in writing to extend the deputation period before its completion. It will be the responsibility of next higher authority to avoid overstayal of staff on deputation.

3- यदि किसी भी कारण से अधिकारी अधिक दिनांक तक बना रहता है, तो वह अनुशासनिक कार्यवाही तथा प्रतिकूल सिविल सेवा परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा कि अनाधिकृत रूप से अधिक दिनांक तक बने रहने की अवधि के दौरान देय वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तब तक स्थगित रहेगी जब तक की संबंधित अधिकारी अपने मूल संवर्ग में पदभार ग्रहण नहीं कर लेता |

In the event of the officer overstaying for any reason whatsoever, he will be liable to disciplinary action and other adverse Civil Service consequences which would include that the period of unauthorized overstay shall not count as qualifying service and that any increment due during the period of unauthorized overstay shall be deferred, with cumulative effect, till the date on which the officer rejoins his parent cadre.

(प्राधिकार:- प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश से जारी)

हस्ता/-

.06.2023

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12

दिनांक:-

क्र. प्रशा.12/स.1/फा.39/ख-III/प्रतिनि./ प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), म.प्र. ग्वालियर |

2. सचिव, महानिदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर- 273012 |

वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), म.प्र.
 ग्वालियर ।

4. उप महानिदेशक/प्रशासन, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-273012 |

5. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक्र.)-।, मध्य प्रदेश, ग्वालियर को आपदा प्रबंधन हेतु ।

6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन- 12 (पदक्रमसूची एवं स्टाफ स्वीकृति सीट), प्रशा-13, 14, गोपनीय कक्ष, आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशिक्षण एवं परीक्षा |

7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11, कृपया श्री भागीरथी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (03/10957) को दिनांक 09.06.2023 (अप.) को सीधे कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर- 273012 के लिए कार्यमुक्त कर इस अनुभाग को सूचित करें |

8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर- 273012 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

- 9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आई.एस.विंग को 'Administration\_personnel' लिंक के अंतर्गत अपलोड करने हेतु तथा OIOS एवं E-Office में अद्यतन करने हेतु |
- 10. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ./प्रशा-14 को इंट्रानेट/ इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य हेतु.
- 11. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर.
- 12. श्री भागीरथी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (03/10957) |
- 13. सूचना पटल.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12